

स्पेशल टास्क फोर्स, उ०प्र० लखनऊ ।

प्रेस-नोट संख्या: 213, दिनांक 28-08-2020

लूट/चोरी/फाइनेंस के वाहनों का फर्जी कागजात तैयार कर पूर्वोत्तर राज्यों में बेचने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, गैंग के सरगना सहित 03 अभियुक्तों गिरफ्तार व एक ट्रक बरामद

आज दिनांक 28-08-2020 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को चोरी/लूट/फाइनेंस की ट्रक, बोलेरो, कार एवं पिकअप आदि गाड़ियों का फर्जी कागजात तैयार कर पश्चिम बंगाल आदि पूर्वोत्तर राज्यों में ले जाकर बेचने वाले गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुये इनके पास से एक ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- प्रदीप त्रिपाठी पुत्र स्व० लल्लन प्रसाद निवासी म०नं० 183/15 भरलाई शिवपुर, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी।
- 2- विक्की प्रसाद पुत्र विजय प्रसाद निवासी एस०पी०मुखर्जी रोड खलपारा, सिलीगुडी, जनपद जलपाईगुडी, प०बंगाल
- 3- मदन मोहन सिंह उर्फ पप्पू पुत्र योगेश सिंह निवासी कनेरी, थाना सादात, जनपद गाजीपुर।

बरामदगी:-

- 1- एक अदद ट्रक-यू०पी०-62टी-5900 (कूट रचित ट्रक नं०-डब्लूबी-78-4251)
- 2- 05 अदद मोबाइल फोन।
- 3- कूटरचित अभिलेख।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

सैदपुर पुराना कोल्ड स्टोरेज के पास, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर दिनांक 28-08-2020

विगत काफी दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में एक ऐसे संगठित अपराधिक गैंग के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जो चोरी/लूट/फाइनेंस की ट्रक, बोलेरो, कार एवं पिकअप आदि गाड़ियों का इन्जन व चेचिस नंबर को मिटाकर इसकी जगह दूसरा नंबर अंकित करते हुये फर्जी कागजात तैयार कर प०बंगाल आदि पूर्वोत्तर राज्यों में ले जाकर बेच दिया करता है। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ एवं प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ द्वारा एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एस०टी०एफ० फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 28-08-2020 को उक्त के संबंध में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ जनपद गाजीपुर क्षेत्र में धरातीय अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थे कि विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी/लूट/फाइनेंस की ट्रक, बोलेरो, कार एवं पिकअप आदि गाड़ियों का फर्जी कागजात तैयार कर प०बंगाल आदि पूर्वोत्तर राज्यों में ले जाकर बेचने वाले गिरोह के कुछ सदस्य जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुरा क्षेत्रान्तर्गत सैदपुर पुराना कोल्ड स्टोरेज के बगल में ट्रक नं० यू०पी-62टी-5900 का नंबर प्लेट हटाकर प०बंगाल का नंबर लगवा रहे हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर 03 संदिग्ध व्यक्ति मय एक ट्रक सहित दिखायी दिये, जिसकी तरफ मुखबिर ने ईशारा कर बताया कि वह 03 लोग ट्रक के साथ मौजूद हैं और मुखबिर मौके से चला गया। एस०टी०एफ० टीम द्वारा अपनी कार्यकुशलता का

परिचय देते हुये उक्त तीनो अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जो उत्तर प्रदेश से लेकर प० बंगाल एवं पूर्वात्तर के अन्य प्रदेशो तक सक्रिय है। यह लोग चोरी, लूट एवं फाइनेंस के ट्रक, बोलेरो, पिकअप आदि वाहनों को कम मूल्य पर खरीद लेते हैं और इसका मूल इंजन व चेचिस नंबर मिटा देते है। इसके उपरान्त विक्की प्रसाद प०बंगाल के जलपाईगुडी के आर०टी०ओ० कार्यालय के एजेण्टों से मिलकर रू 1,40,000 /—(एक लाख चालीस हजार) में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर मय इंजन/चेचिस नंबर सहित प्राप्त कर लेता है। इसके उपरान्त यही कूट रचित रजिस्ट्रेशन, चेचिस व इंजन नंबर अंकित कर वाहन प०बंगाल ले जाते हैं और वहाँ ऊँचे मूल्य पर बेच देते हैं।

अभियुक्तों द्वारा बरामद ट्रक के संबंध में बताया कि यह ट्रक संख्या:यूपी-62टी-5900 अमित शुक्ला निवासी नाथूपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर का है। यह ट्रक श्रीराम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस थी और इसका अमित शुक्ला पर फाइनेंस कंपनी का लगभग 11 लाख रूपये बकाया हो गया था। अमित शुक्ला से इन लोगों ने रू 4,70,000 /—(चार लाख सत्तर हजार रूपये) में खरीद लिया था और इन लोगों द्वारा इस ट्रक का एक कूट रचित रजिस्ट्रेशन नंबर-डब्लू०बी०-78-4251 जलपाईगुडी (प०बंगाल) से तैयार करा लिया था और इसी नंबर को ट्रक पर अंकित करा रहे थे कि पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण को थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर में दाखिल किया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।